कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सम्पोषित एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित'' Strengthening of District Disaster Management Authority (DDMAs) of Hazard Prone Districts" योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्रांक–3161 दिनांक–21.10.2019 के आलोक में दिनांक–13.03.2020 को आयोजित Walk-In-Interview में साक्षात्कार बोर्ड द्वारा शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण–पत्रों के सत्यापनोपरांत श्री मणिकान्त, पिता श्री जयमंगल सिंह, वर्तमान पता–502 ब्रहमदेव इन्कलेब अपार्टमेंट, हरनीचक, अनीशाबाद, पटना–02 एवं स्थायी पता–ग्राम+पो0–सोनपा (मास्टर का डेरा), अंचल–चौसा, थाना–राजपुर, जिला–बक्सर, बिहार योग्य पाये गये। तद्आलोक में **श्री मणिकान्त, पिता श्री जयमंगल सिंह, वर्तमान पता–502 ब्रहमदेव इन्कलेब अपार्टमेंट, हरनीचक, अनीशाबाद, पटना–02 एवं स्थायी पता–ग्राम+पो0–सोनपा (मास्टर का डेरा), अंचल–चौसा, थाना–राजपुर, जिला–बक्सर, बिहार** को निम्नांकित शर्तो के अधीन संविदा के आधार पर Consultant/Disaster Management Professional के पद पर नियोजित किया जाता है :–

1. आपका नियोजन अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से 12 (बारह) माह के लिए होगी। योजना पूर्ण होने तक आवश्यकतानुसार कार्य संतुष्टि के आधार पर ही नियोजन अवधि विस्तारित करने पर विचार किया जा सकेगा। उक्त अवधि के बाद नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसके लिए अधोहस्ताक्षरी को अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. आपका नियोजन किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। इसके लिए एक माह पूर्व आपको उचित माध्यम से सूचित किया जायेगा। यदि आप स्वयं त्याग–पत्र देना चाहेंगे तो आपको भी एक माह पूर्व अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना होगा।
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपका नियोजन किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
4. आपको मो0 70,000.00 (सत्तर हजार) रूपये प्रति माह नियत मानदेय का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
5. संविदा के आधार पर चयनित एवं नियोजित Consultant/Disaster Management Professional न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य सुविधाओं के हकदार होंगे।
6. संविदा के आधार पर नियोजित होने के कारण सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
7. योगदान के समय उपरोक्त शर्त्तो संबंधी एकरारनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् आपका योगदान स्वीकार किया जा सकेगा।
8. आपके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण–पत्र गलत पाये जाने पर आपका नियोजन रद्द करते हुए आपके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
9. योगदान हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

अतः **श्री मणिकान्त, पिता श्री जयमंगल सिंह, वर्तमान पता–502 ब्रहमदेव इन्कलेब अपार्टमेंट, हरनीचक, अनीशाबाद, पटना–02 एवं स्थायी पता–ग्राम+पो0–सोनपा (मास्टर का डेरा), अंचल–चौसा, थाना–राजपुर, जिला–बक्सर, बिहार** को आदेश दिया जाता है कि दिनांक.... 29.03.2020 तक अचूक रूप से एकरारनामा के साथ जिला आपदा प्रबंधन शाखा, औरंगाबाद में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 29.03.2020 तक योगदान नहीं करने पर नियोजन रद्द माना जायेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा नहीं होगा।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक 8050/आ0प्र0, औरंगाबाद, दिनांक 21-3-2020

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–स्थापना उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत शाखा, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–श्री मणिकान्त, पिता श्री जयमंगल सिंह, वर्तमान पता–502 ब्रहमदेव इन्कलेब अपार्टमेंट, हरनीचक, अनीशाबाद, पटना–02 एवं स्थायी पता–ग्राम+पो0–सोनपा (मास्टर का डेरा), अंचल–चौसा, थाना–राजपुर, जिला–बक्सर, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

21/3/2020
जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

D:\Trigun Baba\763.doc